सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 12, सोमवार, *शाके* 1947- जून 02, 2025	
Jyaistha 12, Monday, Saka 1947- June 02, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

(राजस्थान सरकार)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 21, 2025

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 4(1)

संख्या प. ( )/सा.नि.वि./2025 Rajkaj 15542726 :- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 21.04.2025 के निर्देशानुसार **राजस्थान राज्य में 2 लेन मय हार्ड शोल्डर सहित एस.एच.-16, एस.एच.-62 एवं एस.एच.-32 को जोड़ने हेतु फालना-बाली एवं सादड़ी बाईपास** के निर्माण किये जाने के प्रयोजन से जिला पाली के तहसील बाली एवं देसूरी के प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	पाली	बाली	फालनागांव
			खुडाला-फालना
			चाव़ण्डेरीमेडतीयान
			बाली
			कोटबालीयान
		देसूरी	सादड़ी 1
			सादड़ी 2
			भादरास
			प्रतापगढ़ (झुपा)
			मादा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **'पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान'** एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूंल्याकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

1. श्री अरविंद सिंह (9079398209) (पुनर्वास विशेषज्ञ)

कार्यालय :-

पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

बी-256, 10-बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास रोड,

जयपुर, राजस्थान 302018

फोन नं. – 0141-2761891

ई-मेल : pioneer.pcpl@gmail.com

आदेश द्वारा,

आर. के. लूथरा,

संयुक्त सचिव, (पथ)

सार्वजनिक निर्माण विभाग,

राजस्थान सरकार।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।